वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2015

क्र. एफ 16-9-2015-बी-ग्यारह.— विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-7-2015-बी-ग्यारह, दिनांक 1 अप्रैल 2015 को जारी ''मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन एवं प्रबंधन नियम, 2015'' के अनुक्रम में उक्त नियम के नियम 10 के तहत वर्ष 2015-16 के लिये औद्योगिक प्रयोजन की भूमि की प्रब्याजि की गणना हेतु भूमि के मूल्य में छूट/रियायत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—

1. अविकसित भूमि आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट—

(1) प्रब्याजि की गणना हेतु औद्योगिक पार्क हेतु 40 हेक्टेयर तक भूमि आवंटन पर भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट दी जावे.

(2) अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रब्याजि की गणना करने के लिये भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट निम्न सीमा तक दी जावे—

क्र.	संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश (रुपये)	भूमि का क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)
1	10-100 करोड़ तक	10 हेक्टेयर तक
2	100 करोड़ से 500 करोड़ तक	20 हेक्टेयर तक
3	500 करोड़ से अधिक	40 हेक्टेयर

(3) उक्त कंडिका क्रमांक (1) तथा क्रमांक (2) में उल्लेखित सीमा से अधिक भूमि हेतु प्रब्याजि भूमि के समान होगी.

2. विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमियों के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट :—

(1) रुपये 500.00 करोड़ या अधिक निवेश करने वाले रक्षा उत्पाद विनिर्माता औद्योगिक इकाइयों को प्रब्याजि की गणना हेतु भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट अधिकतम 20 हेक्टेयर भूमि हेतु दी जावे.

(2) प्रब्याजि की गणना हेतु शेष औद्योगिक प्रयोजनों तथा रुपये 500 करोड़ से कम निवेश करने वाली रक्षा उत्पाद विनिर्माता औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि के लिए भूमि के मूल्य में छूट पूंजी निवेश एवं भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नानुसार प्रदान की जावे :—

क्र.	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि के मूल्य छूट का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1	500 वर्ग मीटर तक	90 प्रतिशत
2	5000 वर्गमीटर तक	80 प्रतिशत
3	2 हेक्टेयर तक	65 प्रतिशत
4	6 हेक्टेयर तक	50 प्रतिशत
5	20 हेक्टेयर तक	25 प्रतिशत

नोट.—1. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रब्याजि की उपरोक्त दरें केवल औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भूखंडों के लिये लागू होंगी.

2. भूमि के मूल्य में छूट की गणना स्लेब (टेलिस्कोपिक) पद्धति से की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.